भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3712
उत्तर देने की तारीख 03.04.2025

वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका

3712. **श्रीमती संगीता यादव :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की वर्ष 2047 के विकसित भारत विजन के तर्ज पर आर्थिक और सामाजिक विकास के वाहक के रूप में भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की कार्यनीति क्या है;
(ख) क्या सरकार की, भारत के सांस्कृतिक और विरासत स्थलों तक वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए, प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों को एकीकृत करने की योजना है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई नीतियों/योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का उनके संभावित योगदान के आधार पर मूल्यांकन कर रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य अपनी समृद्ध विरासत का लाभ उठाकर, समावेशी भागीदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र को विकसित भारत विजन का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है - एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से उन्नत, सामाजिक रूप से एकजुट और अपने सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित हो।

यह विजन 5-स्तंभों की कार्यनीति पर आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कला को भारत के बड़े विकासात्मक कार्यक्रम में समेकित किया जाए। यह

व्यापक दृष्टिकोण एक समृद्ध, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे भारत वर्ष 2047 तक एक गौरवशाली और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली राष्ट्र बन जाएगा। इस कार्यनीति के पाँच स्तंभ इस प्रकार हैं:

1. **भारत की 10,000+ वर्षों की सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण:** यह स्तंभ भारत की विशाल और विविध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। मंत्रालय का लक्ष्य ऐतिहासिक स्थलों, स्वदेशी कलाओं और पारंपरिक प्रथाओं को परिरक्षित करके, यह सुनिश्चित करना है कि आगामी पीढ़ियाँ देश के अतीत से जुड़कर उससे सीख प्राप्त करें। परिरक्षण पर यह सकेंद्रण भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के विकास की आधारशिला का कार्य करेगा।

2. **पहुँच और भागीदारी का लोकतंत्रीकरण:** इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक सांस्कृतिक क्षेत्र में पहुँच और भागीदारी की बाधाओं को दूर करना है। मंत्रालय कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सांस्कृतिक विकास में शामिल हो कर अपना योगदान दे सकें। इससे "जन भागीदारी" या लोगों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जो कि विकसित भारत 2047 ढांचे में परिकल्पित जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है।

3. **कला और संस्कृति में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** नवाचार और प्रौद्योगिकी भारत की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और संवर्धन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्रालय का लक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्रदर्शनियों और संवादपरक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से, वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक संपदा तक पहुंच बढ़ाना है, जिससे इस विरासत का अनुभव करके उसे साझा करने के तरीकों में नवाचार को बढ़ावा मिले। प्रौद्योगिकी का एकीकरण संरक्षण प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करेगा और कला में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराएगा।

4. **संस्कृति और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** यह विजन भारत को सांस्कृतिक और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था में वैश्विक प्रणेता के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक संपदा का लाभ उठाकर, संस्कृति मंत्रालय निर्मित विरासत, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों- जैसे प्रदर्शन कला, दृश्य कला, वास्तुकला और डिजाइन, मेले और महोत्सवों, शिल्पकलाओं, फैशन और पाक विरासत के क्षेत्र में सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहता है ताकि ये आर्थिक विकास के प्रमुख चालक बन सकें। इससे न केवल रोजगार सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कला और संस्कृति को वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर को महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

5. **भारत को वैश्विक सांस्कृतिक शक्ति (विश्वबंधु) के रूप में स्थापित करना:** भारत की कला और संस्कृति "विश्वबंधु" या वैश्विक मित्र के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्रालय का लक्ष्य वैश्विक भागीदारी बनाने और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए संस्कृति को एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करना है। भारत की सांस्कृतिक गाथा को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित करने के लिए केंद्रित प्रयास किए जाएंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय मान्यता और प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा करके, भारत वैश्विक सांस्कृतिक मंथन पर अपने प्रभाव को चरम सीमा तक बढ़ाएगा और एक अग्रणी सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरेगा।

इस विजन को एक गतिविधि रोडमैप, एक उत्तरदायी मैट्रिक्स और एक कार्य योजना द्वारा समर्थित किया गया है। ये रूपरेखाएँ प्रत्येक कार्य बिंदु के लिए विस्तृत समयसीमा, विशिष्ट लक्ष्य और उत्तरदायित्व के स्पष्ट विभाजन को दर्शाती है। संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के प्रयासों को इस एकीकृत विजन के साथ जोड़कर, भारत का सांस्कृतिक क्षेत्र वर्ष 2047 के लिए निर्धारित आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्यों में योगदान करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

(ग) और (घ): विकसित भारत विजन 2047 के भाग के रूप में, भारत के सांस्कृतिक और विरासत स्थलों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल मंचों को एकीकृत करने हेतु संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपनाई गई कार्यनीति में सांस्कृतिक परिसंपत्तियों के परिरक्षण और जीर्णोद्धार में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत के लिए एक डिजिटल भंडार विकसित करना, सांस्कृतिक संस्थानों में आगंतुकों की भागीदारी को बदलना, संस्कृति मंत्रालय के संगठनों में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को समेकित करना और भारत को तकनीक से जुड़े कानूनों में अग्रणी बनाने के लिए नियामक चुनौतियों का समाधान करना सम्मिलित है।

(ङ.): संस्कृति मंत्रालय लगातार अभिनव कदम उठा रहा है और मौजूदा योजनाओं को विकसित भारत विजन 2047 की प्राप्ति हेतु उनके अनुरूप बना रहा है। महाकुंभ मेला-2025 के दौरान प्रयागराज में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कलाग्राम की सफलता का अनुकरण करते हुए इस तरह की नवीनतम पहल के तहत देश भर में 20 कलाग्रामों की स्थापना की जा रही है। ये कलाग्राम जीवंत सांस्कृतिक स्थल के रूप में कार्य करेंगे, कलाकारों, शिल्पकारों, प्रदर्शन कलाकारों के लिए अवसर सृजित करेंगे, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में कार्य करते हुए कला, संस्कृति और परम्परा की सदियों पुरानी परंपराओं को बढ़ावा देंगे।
